

पत्र संख्या : ७ब/४७०१ यो०ज०सं० -१६/२०१२

७८

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: ९.७.१२

विषय :-

मॉग संख्या-49—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय, उप—मुख्य शीर्ष-80—सामान्य, लघु शीर्ष-796—जन—जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-68—भवनों का संधारण, विस्तृत शीर्ष-05—निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, विपत्र कोड 49P470180796680543 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में परिशिष्ट-1 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	कुल आवंटन (लाख रु०में)
1	2	3	4	5
1.	49—जल संसाधन विभाग/ 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय/ 80—सामान्य	796—जन—जातीय उपयोजना/ 68—भवनों संधारण	क्षेत्रीय का 05—निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, 49P470180796680543	26.77

आवंटित राशि - ₹ छब्बीस लाख सतहत्तर हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012-2013 के बजट उपबंध रु. 100.00 लाख (एक करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत एवं परिशिष्ट-1 में अंकित विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने पेरिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

(सुधाकर कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनुलग्नक—यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

झापांक :—

78

रॉची, दिनांक :— 9.7.12

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :— यथोक्त्

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

झापांक :—

78

रॉची, दिनांक :— 9.7.12

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख —I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा—7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :— यथोक्त्

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि०)

(सुबोध कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

मॉग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-४७०१ मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य,

लघु शीर्ष-७९६-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना

उप शीर्ष-६८-भवनों का संधारण

वि. स्तूत शीर्ष-०५-निर्माण, ४३ अनुरक्षण, मरमति एवं सुसज्जीकरण

49P470180796680543

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में बजट उपबंध १००.०० लाख (एक करोड़) रूपये मात्र।

(राशि लाख रु० में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	प्रशासनिक स्थीकृति का		मार्च 2012 तक	वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में आवंटन			अन्युकृति
			प्रसंग	राशि		का व्यय	पूर्व का वर्तमान आवंटन	फुल आवंटन	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	जलपथ प्रमंडल रँची	रँची	नेपाल हाउस सचिवालय के हितीय तल्ला पर कमरा सं०-२१८ एवं २१९ का सुसज्जीकरण कार्य	४२ / ११-१२ प्र०स्वी० दिनांक- ०९.०२. २०१२	४९.००	१९.७३	०.००	२६.७७	२६.७७
			कुल योग	४९.००	१९.७३	०.००	२६.७७	२६.७७	२६.७७

आवित्र राशि - ₹ छह्यास लाख सतहतार हजार मात्र।

(ओंकार नाथ)

सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अभि.)

(सुलोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. शी. निर्गम)

विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव